न्यायालयः- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 02, बागपत
उपस्थित- आबिद शमीम (एच.जे.एस.)
फौजदारी अपील संख्या-01/2017

1. श्रीमति शिमला उम्र करीब 66 साल पत्नी स्व0 जगदीश निवासी ग्राम जोनमाना पटटी रामायण थाना बडौत जिला बागपत।

..................................अपीलार्थी।

बनाम

1. राजवीर आयु लगभग 52 साल पुत्र बीजा
2. श्रीमति नीलम आयु लगभग 45 साल पत्नी राजबीर
3. विनीत आयु लगभग 26 साल पुत्र राजबीर........समस्त निवासीगण ग्राम जोनमाना पटटी रामायण थाना बडौत जिला बागपत।

....विपक्षीगण।

अन्तर्गत धारा-372 सी0 आर0 पी0 सी0

निर्णय

यह फौजदारी अपील अपीलार्थी श्रीमति शिमला की ओर से विरूद्ध आदेश दिनांकित 28/11/2016 जो परिवाद संख्या 1068/2010 श्रीमति शिमला बनाम राजबीर में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत द्वारा पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में उक्त फौजदारी निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि-मान्य अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 1068/2010 श्रीमति शिमला बनाम राजबीर में पारित आदेश दिनांक 28.11.2016 विधि विरूद्ध एवं तथ्य के विपरीत है। क्योंकि प्रश्नगत आदेश में यह बात गलत लिखी है कि परिवादनी ने अपनी मुख्यपरीक्षा अ0 धारा 244 सी0 आर0 पी0 सी0 में अपने परिवाद का आंशिक रूप से समर्थन किया है लेकिन जिरह में परिवादनी ने अपने परिवाद के विरोधाभासी कथन किये है। यह बात भी गलत है कि परिवादनी ने जिरह में लात घूसों से मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है यह बात भी गलत लिखी है कि परिवादनी द्वारा विनीत के लाठी लिये होने के संबंध में अपनी जिरह में कोई कथन नहीं किया है। यह बात भी गलत है कि परिवादनी के बयानों व प्रार्थनापत्र से यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि परिवादनी ने अपनी चोटों की डाक्टरी मुआयना को प्रार्थनापत्र दिये जाने से पहले का कराया था या बाद में। यह बात भी गलत लिखी है कि समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादनी अपने परिवाद को संदेह से परे साबित करने में असफल रही है। यह बात निष्कर्ष भी गलत है कि सन्देह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण राजबीर, नीलम, व विनित को अ0 धारा 452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है। वास्तवत में जहाॅ तक परिवाद का आंशिक रूप

से अपीलार्थी द्वारा समर्थन करने का कथन है वह कतई गलत है तथा अपीलार्थी ने अपने बयान अ0 धारा 200 सी0आर0पी0सी0 व बयान अ0 धारा 244 सी0आर0पी0सी0 में घटना व परिवाद का पूर्ण समर्थन किया है तथा जिरह में कोई विरोधाभास बात नहीं कही है तथा अपीलार्थी ने अपने बयान अ0 धारा 200 सी0आर0पी0सी0 व बयान अ0 धारा 244 सी0आर0पी0सी0 जो 22.01.2010 को अंकित किये गये है उसमें व दिनांक 24.02.2011 को पी0डब्ूल0-2 मदन के 244 सी0आर0पी0सी0 के अंकित बयानों में लात घूसों व अपने साथ मारपीट व धक्का मुक्की व धमकी देने की बात बताई है जहाॅं तक विनीत विपक्षी संख्या 3 के लाठी हाथ मे लिये होने का साक्ष्य है वह अपीलार्थी ने बाखूबी अपनी 244 की जिरह परीक्षण जो दिनांक 18.09.12 को हुआ उसके पेज नम्बर 5 पर स्वीकार की है तथा स्वयं न्यायालय ने अपने निर्णय में निष्कर्ष निकालते समय वर्णित कर रखा है कि बागपत की भाषा में लाठी के स्थान पर डन्डा या डन्डी शब्द का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। जहाॅं तक चोटों के डाक्टरी मुआयने का प्रश्न है तो वह भी परिवादनी ने मान्य न्यायालय में अपनी 246 सी0आर0पी0सी0 की जिरह परीक्षण जो दिनांक 13.01.2012 को हुआ उसमे पेज संख्या 8 पर बताया है कि-''एस0पी0 को दिये पत्र में चोटों की बात लिखाई थी चोटों का हवाला नहीं दिया'' तथा अपीलार्थी ने आगे इसी पेज पर कथन किया गया है कि-''थाने वाली तहरीर में चोटों का हवाला नहीं दिया था'' अर्थात न्यायालय ने इस बिन्दू पर अपना गलत मत व्यक्त किया कि परिवादनी ने अपनी चोटों की डाक्टरी मुआयना को प्रार्थनापत्र दिये जाने से पहले कराया था या बाद में। अर्थात अपीलार्थी ने अपने चोटों के बारे में अपने बयान व एस0पी0 के प्रार्थनापत्र में एक जैसी बाते बताई है तथा कतई विरोधाभास नहीं किया है। जहाॅं तक अपीलार्थी द्वारा घटना को देखे जाने वाले व्यक्तियों के पेश करने का प्रश्न है वहाॅं गवाहों की गिनती महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनकी विश्वसनीयता परखी जानी चाहिए जो विधि का सुस्थापित नियम है। ऐसा ही इस मामले में अपीलार्थी स्वयं घटना की चश्मदीद है तथा चुटैल है तथा पढी लिखी बयोवृद्ध महिला है एवं अपने अधिकारों को प्रति जागरूक है तथा अपीलार्थी ने उक्त परिवाद के प्रारंभिक स्तर से अन्तिम निस्तारण तक अपने कथनों में अपने साथ हुई मारपीट व घटना का पूरा विश्वसनीय तरीके से मान्य न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा मामले को विपक्षीगण के विरूद्ध सन्देह से परे साबित किया है परन्तु अवर न्यायालय ने उक्त केस की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन नहीं किया आर विपक्षीगण को गलत राय एवं गत मत व्यक्त करते हुए दिनांक 28.11.2016 को दोषमुक्त कर दिया है जो कतई गलत एवं निराधार है। अतः परिवाद संख्या 1068/10 श्रीमति शिमला बनाम राजबीर आदि में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2016 को अपास्त किया जाये।

विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील के विरूद्ध केई लिखित रूप से आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मौखिक रूप से विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

अपीलार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में एक किता प्रमाणित प्रति कापी आदेश/निर्णय दिनांक 28.11.2016 प्रस्तुत की गयी है।

मैंने उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्तागण के तर्क सुनें एवं पत्रावली का अधिमूल्यांन अवलोकन

सुनिश्चित किया।

पत्रावली के परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांकित 28.11.2016 तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जो सुविधा की दृष्टि से उद्धृत किया जा रहा हैः-

it is now well settled that the power of an appellate court to review evidence in appeals against acquittal is as extensive as its powers in appeals against convictions, but that power is with a note of caution that the appellate court should be slow in interfeffing with the orders of acquittal unless there are compelling reasons to do so. This court in Methews vs State of Maharashtra has pointed out that (SCC pp. 773-74, para 5)

5----If a finding reached by the trail Judge cannot be said to be an unreasonable finding, then the appellate court should not disturb that finding even if it is possible to reach a different conclusion on the basis of the material on record.

Ref:-

Arun Kumar vs State of Bihar and others 1989 Supp(2) SCC 140

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं की आलोक पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं उपलब्ध साक्ष्यों की मिमांशा आवश्यक प्रतीत होती है।

उपरोक्त के आलोक में परिवाद संख्या 1068/2010 श्रीमति शिमला बनाम राजबीर का अवलोकन सुनिश्चित किया गया जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परिवादनी ने यह परिवाद अ0 धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 के तहत येजित किया गया था तथा दिनांक 17.01.2008 को परिवादनी को सुनकर अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में तलब किया गया था।

परिवादनी ने अपने बयान अ0 धारा 244 सी0आर0पी0सी0 में कथन किया गया है कि-''मैंने मुकदमा राजवीर, नीलम व विनीत के खिलाफ किया है। उपरोक्त लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे नाम वाली जमीन को अपने नाम कराने के लिए मेरे दस्तखत जबरदस्ती कुछ कागजातों पर कराना चाहते थे। यह घटना 7 मार्च 2007 की शाम करीब 06ः30 बजे की है। मैंने उन कागजों पर साईन करने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर उक्त लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की तथा गुम चोटें पहुंचायी। मेरा नीलम ने गला घोंटा, धक्के मुक्के मारे। बाहर से दो लडके आ गये। जिन्होंने मुझे छुटाया। जाते हुए मुल्जिमान कहने लगे कि आज तो तु बच गयी आगे मौका मिलने पर जान से मार देंगे।''

तथा परिवादनी की ओर से अ0 धारा 244 सी0आर0पी0सी0 की जिरह में विपरीत कथन करते हुए उल्लिखित किया गया है कि-''मुल्जिमान तीनों एक साथ मेरे घर में घुसे थें विनीत एक डंडी सी ले रहा था नीलम कुछ नहीं ले रही थी। राजवीर भी एक डंडी सी ले रहा था। विनीत ने 2-4 डंडी मारी होगी राजवीर ने भी डंडी मारी थी। नीलम ने गला घोटा था। तभी मैने शौर मचा

दिया। मैंने गला दबाने से पहले ही शोर मचा दिया था। ये लोग मेरा मुंह बन्द नहीं किया था। शोर पर एक आदमी आया था। बडौत का बताता था। ''

परिवादनी/अपीलार्थी के उपरोक्त बयान के आधार पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि परिवादनी/अपीलार्थी के द्वारा अपने वादपत्र एवं अ0 धारा 200 सी0आर0पी0सी0 के बयान में कथन किया गया है कि नीलम ने उसका गला दबाया था तो उसने शोर मचाया किन्तु अपनी जिरह 244 सी0आर0पी0सी0 में उसके द्वारा इसके विपरीत ही कथन किया गया है कि मैंने गला दबाने से पहले ही शोर मचा दिया था इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जब गला दबाने से पहले ही प्रार्थीनी/अपीलार्थी के द्वारा शोर मचा दिया गया था तो गला दबाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हेता है।

परिवादनी/अपीलार्थी के द्वारा अपने परिवादपत्र में कथन किया गया है कि राजवीर ने प्रार्थीनी को लात घूंसो से मारपीट की थी तथा विपक्षी संख्या 3 विनीत ने लाठी से मारा था। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीनी/अपीलाथ्ीर् के द्वारा लात घूंसों के संबंध में अपनी बयान 244 सी0आर0पी0सी0 व 246 सी0आर0पी0सी0 में कहीं भी कथन नहीं किया गया है तथा लाठी से मारने के संबंध में विरोधाभास कथन करते हुए स्वंय परिवादनी/अपीलार्थी के द्वारा स्वयं अपनी जिरह 244 सी0आर0पी0सी0 में यह स्वीकार किया गया है कि-विनित ने दो चार डंडी मारी और राजवीर ने भी डंडी से मारा था।

विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि- बागपत की भाषा में लाठी के स्थान पर डन्डा या डन्डी शब्द का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है।

तो यहॉ पर यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि लाठी और डन्डी में बहुत फर्क होता है तथा जहॉ पर स्वंय परिवादनी के द्वारा अपने वादपत्र में लाठी से मारने का कथन किया गया है तो वहॉ उसके द्वारा जिरह में डन्डी शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि परिवादनी के द्वारा जिन व्यक्तियों को घटना देखे जाने का कथन किया गया है उन गवाहों को उसके द्वारा परिक्षित नहीं कराया गया है मात्र एक साक्षी मदन सिंह को अ0 धारा-244 सी0आर0पी0सी0 हेतु परिक्षित कराया गया है किन्तु उसके द्वारा 246 सी0आर0पी0सी0 का साक्ष्य देने हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये किन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ और उसका साक्ष्य का अवसर दिनांक 04.02.2013 को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार अवर न्यायालय के द्वारा उचित निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रार्थीनी के द्वारा घटना के समय देखा जाना बताया गया है उन्हें साक्ष्य मे प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल प्रदान हो सकता।

उपरोक्त साक्ष्यों व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि परिवादनी/अपीलाथ्ीर् के द्वारा अपने वादपत्र व अपने बयानों में विरोधाभास किया गया है। तथा जिसके आधार पर अवर न्यायालय के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालते हुए ही आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अवर न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुए कोई गंभीर ;चमतअमतेमद्ध विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए ही आदेश पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त अपीलार्थी की अपील स्वीकार्य योग्य नहीं है तदानुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अपीलार्थी की फौजदारी अपील 01/17 निरस्त की जाती है।

2. अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 28/11/2016 की समपुष्टि की जाती है तथा पत्रावली आवश्यक कार्यावाही उपरान्त नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांकः-25/05/2018

(आबिद शमीम),
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
एफ0 टी0 सी0-कोर्ट संख्या-2,
बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः-25/05/2018

(आबिद शमीम),
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
एफ0 टी0 सी0-कोर्ट संख्या-2,
बागपत।